भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2341

उत्तर देने की तारीखः 13.12.2021

गरीबों हेतु शिक्षा

†**2341. श्री चंद्र शेखर साहू:**
श्री धर्मेन्द्र कश्यप:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या समाज के कमजोर वर्ग शिक्षा प्राप्ति के अत्यंत निम्न स्तर के साथ समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) बच्चों के परिवार की वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिए बिना सरकार द्वारा दूरस्थ रूप से भी शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंधों के अंतर्गत किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्राप्त सफलता के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार दूरस्थ शिक्षा/ऑनलाइन कक्षाओं से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर समूहों के अपवर्जन को रोकने के लिए कोई विशेष उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क), (ख) और (घ): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 उपयुक्त सरकार को पड़ोस के स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने का अधिदेश देता है। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक

विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय आरटीई अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेश सुनिश्चित करना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) शिक्षा में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के बच्चों की समान भागीदारी को दर्शाता है, जो निम्नानुसार है:

जीईआर	**सभी बच्चे**	**अनुसूचित जाति के**	**अनुसूचित जनजाति**
प्राथमिक	102.74	113.11	107.11
उच्च प्राथमिक	89.67	97.07	93.48
माध्यमिक	77.90	83.02	76.72

(स्रोत:- यूडीआईएसई + 2019-2020)

समग्र शिक्षा बालिकाओं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों आदि के बच्चों तक पहुंचने का प्रयास करती है। नामांकन, प्रतिधारण और जेंडर समानता के विभिन्न संकेतकों पर प्रतिकूल प्रदर्शन के साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों की बहुलता को ध्यान में रख कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक विशेष फोकस जिलों (एसएफडी) की पहचान की गई है। समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समग्र शिक्षा में विभिन्न प्रावधान हैं जैसे मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, वर्दी, बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उन क्षेत्रों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय/छात्रावास जहां कम जनसंख्या घनत्व के साथ कम आबादी (ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र) हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप शिक्षा के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संक्रमण दर में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों का विवरण इस प्रकार है:

संक्रमण दर (स्रोत:यूडीआईएसई)	**अनुसूचित जाति**			**अनुसूचित जनजाति**		
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
प्राथमिक से उच्च प्राथमिक	88.56	88.54	90.64	91.64	90.77	92.38
प्रारंभिक से माध्यमिक	86.40	87.08	88.92	85.89	87.52	87.49
माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक	62.99	64.61	68.11	61.74	62.80	62.78

(ग) (ङ) और (च): पीएम ईविद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करना है। इस पहल में व्यापक पहुंच प्रदान करने के लिए सभी प्रकार के डिजिटल मोड शामिल हैं - दीक्षा (ऑनलाइन), स्वयं (ऑनलाइन), स्वयं प्रभा (टीवी), दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के उपयोग सहित अन्य टीवी चैनल। इसके अलावा, विभिन्न माध्यमों द्वारा निरंतर शिक्षा की सुविधा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को **प्रज्ञाता** दिशानिर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी स्थितियां शामिल हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या बहुत कम बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध है, इन संसाधनों को टेलीविजन, रेडियो आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों जो इंटरनेट पर निर्भर नहीं हैं, के माध्यम से साझा किया जाता है। कक्षा 1 से 12 तक के डिवाइस के साथ और बिना डिवाइस वाले दोनों तरह के बच्चों के अधिगम समाधान के लिए एक वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार किया गया है। इनके अलावा, सामुदायिक रेडियो, वर्कशीट और पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति शिक्षार्थियों के निवास पर, शिक्षकों द्वारा घर का दौरा, सामुदायिक कक्षाएं, टोल फ्री नंबर, ऑडियो सामग्री के लिए एसएमएस आधारित अनुरोध, शिक्षा के लिए स्थानीय रेडियो सामग्री आदि का उपयोग किया गया है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाए गए कदमों को इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन, जून 2020 में दिखाया गया है, जो निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdf

*****